

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण-1,
पटना।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, दानापुर निजामत।

पटना, दिनांक-22/6/18

विषय:- ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-03/2018-19 के ग्रुप सं०-01 के कार्य वार्ड नं०-37 विश्वशैरया नगर कॉलोनी में महेश्वरी अपार्टमेन्ट से श्री डी०एन०गौतम (सेवानिवृत्त) डी०जे० के आवास तक पी०सी०सी० सड़क एवं आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य के कार्य आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर निजामत का पत्रांक-1109 दिनांक-05.06.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-722 दिनांक-18.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र से ई-टेण्डरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-03/2018-19 के ग्रुप सं०-01 के कार्य वार्ड नं०-37 विश्वशैरया नगर कॉलोनी में महेश्वरी अपार्टमेन्ट से श्री डी०एन०गौतम (सेवानिवृत्त) डी०जे० के आवास तक पी०सी०सी० सड़क एवं आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य हेतु मान्य 06 निविदाकारों का उद्धृत दर एकसमान (परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम) रहने के फलस्वरूप दिनांक-20.06.2018 को उपस्थित निविदाकारों की उपस्थिति में उनके बीच अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में लॉट्री किया गया एवं लॉट्री में श्री प्रेम किशोर का नाम सफल संवेदक के रूप में चयनित हुआ।

तदनुसार लॉट्री के आधार पर चयनित श्री प्रेम किशोर को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि 39,67,536/- (उन्नचालीस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ छत्तीस) रुपये मात्र से 10% कम अर्थात् राशि 35,70,782/- (पैंतीस लाख सत्तर हजार सात सौ बेरासी) रुपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। कार्यपालक अभियंता, डुडा-1, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर निजामत सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।


निम्न निदेशों को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 06 (छः) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।
9. प्रारम्भ बिन्दु से निकासी बिन्दु तक नाला का Slope निर्धारित करते हुए निर्माण करायेंगे ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
10. विभिन्न कार्यों में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/Isapat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।
11. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
12. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
13. पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का टोकर नहीं हो।
14. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
15. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
16. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।
कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु0:- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी
निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन


22/6/18

अधीक्षण अभियंता,

बिहार शहरी विकास अभिकरण

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 11 न0वि0 अभि0 (को0) 321/2017 769

पटना, दिनांक- 22/6/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ।


22/6/18

अधीक्षण अभियंता,

बिहार शहरी विकास अभिकरण

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना।